मि.स. 29-01/2023-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार

कृषि एवं. किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विस्तार निदेशालय

> कृषि विस्तार भवन आई.ए.एस.आर.आई. campus, पूसा नई दिल्ली-110012 दिनांक अक्टूबर, 2023

सेवा में

Sh. Abhijeet Kumar Vill-Jivanpur, P.O.-Soradih, Nalanda Bihar-803110.

Email: imabhi0352@gmail.com

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति- विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री अभिजीत कुमार, बिहार से प्राप्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में सूचना देने से सम्बंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/23/00058 दिनांक 10-10-2023)

महोदय

कृपया आप अपने आर.टी. आई. अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमे आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से सम्बंधित सूचना निम्नवत है :-

मांगी गई जानकारी	<u> </u>
Please provide me a brief information regarding the schemes which is currently can be availed by the farmers of Harnaut Block of Nalanda district of Bihar	A Centrally Sponsored Scheme "Support to State Extension Programs for Extension Reforms" popularly known as ATMA Scheme is under implementation since 2005. Presently, the scheme is being implemented in 704 districts of 28 States & 5 UTs in the country [including all the 38 districts of Bihar (Including Harnaut block of Nalanda)]. The Scheme promotes decentralized farmer-friendly extension system in the country. Under the scheme, Grants-in-Aid is released to the State Governments with an objective to support State Government's efforts and to make available latest agricultural technologies and good agricultural practices in different thematic areas of agriculture and allied sectors to farmers through different extension activities viz. Farmers Training, Demonstrations, Exposure Visits, Kisan Mela, Mobilization of Farmers Groups and organizing Farm Schools etc.
	For more details about implementation of ATMA scheme in Bihar, the applicant is advised to contact State Nodal Officer (ATMA), Department of Agriculture, Government f Bihar, Vikas Bhawan, New Secretariat, Patna, Bihar-800015. ATMA Scheme Guidelines, 2018 are available in public domain (vide http://extensionreforms.dacnet.nic.in/PDF/atmaguid23814.pdf).

आपको सूचित करना है कि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिए यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है । प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत है :-

डॉ शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार) विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा न॰ 204, कृषि विस्तार सदन, पूसा, नई दिल्ली-110012 दूरभाष - 011-25849881 व ई-मेल पता- shailesh.mishra29@gov.in

> ्रभवदीया दापा

उप॰ निदेशक (प्रशासन एवं. सी.पी.आई.ओ.)

दूरभाष :- 011-25846467

ई-मेल :- <u>deepa.pande65@gov.in</u>

<u>प्रतिलिपि :-</u>

- 1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याम विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।
- 2. अनुभाग अधिकारी (आर.टी.आई.), आर.टी.आई. सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली ।
- 3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इनचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जवाब को विस्तार निदेशाल्य की वेबसाइट <u>www.krishivistar.gov.in</u> पर अपलोड करवाने का कष्ट करें ।